डाक पंजीयन सं. आर.जे. / जे.पी.सी. / मन्थली–08 / 2010–12 RNI - 65127/94

सहकार समाचार बुलेटिन

वर्ष : 17 अंक : 7 वार्षिक : 100 रु एक प्रति : 10 रु मार्च, 2011

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की पहल पर सहकार जनप्रतिनिधियों ने आभार जताया

सहकारी संस्थाओं का लोकतांत्रिक स्वरुप कायम–सहकारिता मंत्री

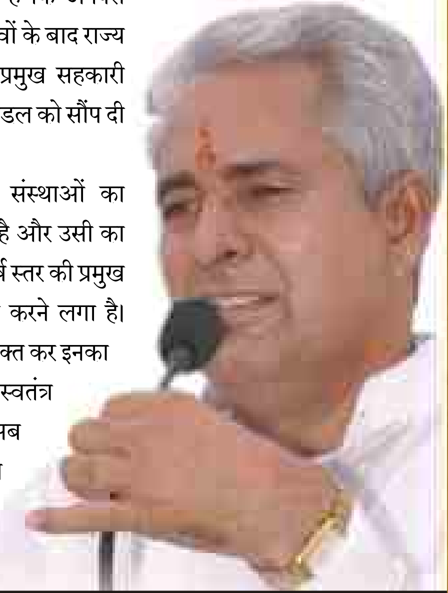

सहकारिता मंत्री श्री परसादी लाल मीणा ने कहा है कि अपेक्स सहकारी बैंक व राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक के चुनावों के बाद राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ के चुनाव कराकर राज्य की प्रमुख सहकारी संस्थाओं के संचालन की जिम्मेदारी चुने हुए संचालक मण्डल को सौंप दी है।

श्री मीणा ने कहा कि राज्य सरकार सहकारी संस्थाओं का लोकतांत्रिक स्वरुप कायम करने के लिए वचनबद्ध रही है और उसी का परिणाम है कि आज ग्राम स्तर, जिला स्तर के साथ ही शीर्ष स्तर की प्रमुख सहकारी संस्थाओं में निर्वाचित संचालक मण्डल काम करने लगा है। उन्होंने कहा कि सहकारी संस्थाओं को सरकारीकरण से मुक्त कर इनका लोकतांत्रिक स्वरुप कायम कर दिया है। सभी चुनाव स्वतंत्र चुनाव निकाय द्वारा निष्पक्ष तरीके से कराए गए हैं। अब निर्वाचित संचालकों का भी दायित्व हो जाता है कि वे प्रदेश के सहकारी आंदोलन को अग्रिम कतार में लाने के प्रयास करे।

सहकारिता मंत्री को राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक का 18 लाख 95 हजार रुपए का लाभांश चैक भेंट

सहकारिता मंत्री श्री परसादी लाल मीणा को राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक की ओर से अपेक्स बैंक परिसर में 15 फरवरी को राज्य सरकार की हिस्सा राशि पर 18 लाख 95 हजार रुपए का लाभांश चैक भेंट किया। लाभांश का चैक बैंक अध्यक्ष श्री अशोक फोजदार, प्रमुख सचिव सहकारिता श्री तपेश पवार, रजिस्ट्रार श्री प्रेम सिंह मेहरा व प्रबन्ध संचालक बैंक श्रीमती मंजरी भांती ने दिया।

इस अवसर पर श्री मीणा ने राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक द्वारा राज्य सरकार की हिस्सा राशि पर लाभांश देने पर बधाई देते हुए कहा कि राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक ने सदस्यों सहित राज्य सरकार की हिस्सा राशि पर लाभांश देकर यह सिद्ध कर दिया है

शेष पृष्ठ 2 पर...

राजीव गांधी सेवा केन्द्रों पर ग्राम सेवा सहकारी समितियों के मिनी बैंकों की कम्प्यूटरीकृत शाखाएं

3 करोड रु. होंगे व्यय

राज्य में ग्राम पंचायत स्तर पर बन रहे राजीव गांधी सेवा केन्द्रों पर ग्राम सेवा सहकारी समितियों के मिनी बैंकों की आधुनिक साज-सज्जायुक्त कम्प्यूटरीकृत शाखाएं स्थापित की जाएगी।

सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार श्री प्रेम सिंह मेहरा ने बताया कि शुरुआत में 3 करोड़ रुपए की लागत से 200 राजीव गांधी सेवा केन्द्रों पर ग्राम सेवा सहकारी समितियों के मिनी बैंकों की शाखा स्थापित की जा रही है। इसके लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में उपलब्ध कोष से राशि जारी कर दी गई है। उन्होंने बताया कि 200 मिनी बैंकों की शाखाओं के लिए प्रति मिनी बैंक शाखा डेढ़-डेढ़ लाख रुपए जारी किए गए हैं।

श्री मेहरा ने बताया कि ग्राम पंचायत स्तर पर बन रहे राजीव गांधी सेवा केन्द्रों में सहकारिता विभाग की ग्राम सेवा सहकारी समितियों के मिनी बैंकों के संचालन के लिए स्थान उपलब्ध कराया जा रहा है। इस स्थान की साज-सज्जा व आवश्यक सुविधाएं सहकारिता विभाग द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के वित्तीय सहयोग से की जा रही है। उन्होंने बताया कि इस समय तैयार 200 राजीव गांधी सेवा केन्द्रों पर मिनी बैंकों की शाखा स्थापना के लिए 3 करोड़ रु. संबंधित केन्द्रीय सहकारी बैंकों को जारी करते हुए 31 मार्च, 11 तक आवश्यक उपकरणों की खरीद कर शाखाएं शुरु करने के निर्देश दिए गए हैं। इस संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करते हुए सहकारिता विभाग की वेबसाइट पर भी उपलध कराए गए हैं।

श्री मेहरा ने बताया कि राजीव गांधी सेवा केन्द्रों पर शुरु हो रही मिनी बैंकों की शाखा में बैंकिंग काउन्टर मय तीन कुर्सियां, कैश केबिन मय सैफ एवं छोटी आलमारी गोदरेज या इसके समकक्ष निर्माता की एवं कम्प्यूटर मय उपकरण में यूपीएस, प्रिन्टर, सॉफ्टवेयर एवं इन्स्टालेशन होगा। उन्होंने बताया कि कम्प्यूटर मय उपकरणों आदि की खरीद के लिए प्रबंध निदेशक अपेक्स बैंक की अध्यक्षता में चार सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है जिसमें मुख्य लेखाधिकारी सहकारिता विभाग, संयुक्त रजिस्ट्रार बैंकिंग व प्रबन्धक ईडीपी अपेक्स बैंक को सदस्य सचिव बनाया गया है। कम्प्यूटर की खरीद नाबार्ड द्वारा समरुप लेखांकन प्रणाली के निर्धारित मापदण्डों के अनुसार डीजीएसएण्डडी दरों पर सूचीबद्ध अधिकृत विक्रेताओं से भी की जा सकती है।

बैंकिंग काउन्टर, कुर्सियां, कैश केबिन, सैफ, छोटी आलमारी आदि की खरीद के लिए प्रबन्ध निदेशक संबंधित केन्द्रीय सहकारी बैंक की अध्यक्षता में समिति बनाई गई है, इस समिति में जिले के उप या सहायक रजिस्ट्रार को सदस्य व प्रशासनिक अधिकारी संबंधित केन्द्रीय सहकारी बैंक को सदस्य सचिव बनाया गया है। उन्होंने बताया कि यह सभी कार्यवाही जीएफएण्डआर में निर्धारित प्रक्रियानुसार करते हुए गुणवत्ता व प्रतिस्पर्धात्मक दरों से कार्य कराने को निर्देशित किया गया है। जिन राजीव गांधी सेवा केन्द्रों का कार्य पूर्ण हो गया है, उनमें मिनी बैंक के लिए कमरे के स्थानान्तरण वाली ग्राम सेवा सहकारी समितियों में पहले चरण में कार्य करवा कर मिनी बैंक की सेवाएं शुरु की जाएगी। श्री मेहरा ने बताया कि इससे ग्राम पंचायत स्तर पर ग्रामीणों को सहकारी बैंकिंग सेवाएं प्राप्त हो सकेगी।

नवनियुक्त 70 सहकारी निरीक्षकों का प्रशिक्षण संपन्न, पदस्थापन आदेश जारी

नवनियुक्त सहकारी निरीक्षकों का 8 सप्ताह का आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम राइसम में संपन्न हो गया।

प्रशिक्षण के समापन समारोह को संबोधित करते हुए रजिस्ट्रार श्री प्रेम सिंह मेहरा ने नवनियुक्त निरीक्षकों का सरकारी नौकरी को आमजन की सेवा का अवसर मानते हुए ईमानदारी व कर्तव्यनिष्ठा से काम करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सहकारिता सीधे आम आदमी खासतौर से जरुरतमंद गरीबों, किसानों से जुड़ा विभाग है। निरीक्षक सहकारिता आंदोलन की धुरी होने से उनका विशेष दायित्व हो जाता है कि वे सेवा भावना से कार्य करें।

श्री मेहरा ने सरकारी सेवा में आने के बाद भी निरन्तर सीखने की भावना रखने सहकारी अधिनियम-नियम-और संस्थाओं के उपनियमों से तातारीख अवगत रहने और कुछ नया करने की सोच की भावना रखने पर जोर दिया। उन्होंने निरीक्षकों के सरकारी सेवा में प्रवेश पर बधाई देते हुए परस्पर संवाद बनाए रखने की आवश्यकता भी प्रतिपादित की। उन्होंने बताया कि निरीक्षकों के पदस्थापन आदेश जारी कर दिए गए हैं जो विभागीय बेवसाइट पर भी उपलब्ध है।

राइसम के निदेशक श्री आर.के. पुरी ने बताया राइसम द्वारा ओटीएस की सहयोगी संस्था बनते हुए 8 सप्ताह के कार्यक्रम में प्रशिक्षण की व्यवस्था की है। राइसम के अतिरिक्त निदेशक श्री अशोक जोशी ने बताया कि सहकारी अधीनस्थ सेवा में नवनियुक्त 70 निरीक्षकों को प्रशिक्षण के दौरान सरकारी कानून कायदों, कार्यालयीय प्रक्रियाओं, कम्प्यूटर के उपयोग, सूचना प्रौद्योगिकी, सहकारी कानून व सहकारी संस्थाओं की कार्यप्रणाली की जानकारी दी गई है। समापन समारोह में अरविन्द कविया व गायत्री रेडिया को सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षणार्थी के रूप में सम्मानित किया गया। इसके अलावा वाद-विवाद प्रतियोगिता, खेलकूद प्रतियोगिता आदि के विजेताओं को भी स्मृति चिन्ह व प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। संचालन व आभार संकाय सदस्य श्री नवीन शर्मा ने व्यक्त किया।

पृष्ठ 1 का शेष ...

सहकारिता मंत्री को ....

कि सहकारी संस्थाओं में बेहतर प्रबन्धन से हिस्सा राशि विनियोजन लाभकारी है।

श्री मीणा ने बताया कि राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक में राज्य सरकार की हिस्सा राशि के एक करोड़ 89 लाख 50 हजार रुपए का विनियोजन है। राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक द्वारा राज्य सरकार की विनियोजित राशि पर अब तक 2 करोड़ 85 लाख रुपए से अधिक का लाभांश दिया जा चुका है जो राज्य सरकार की विनियोजित हिस्सा राशि से डेढ़ गुणा से भी अधिक है।

राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक के अध्यक्ष श्री अशोक फौजदार ने बताया कि वर्ष 2008-09 में राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक 24 करोड़ रुपए से अधिक के लाभ में रहा है। उन्होंने भूमि विकास बैंक किसानों से जुड़े बैंक होने से राज्य सरकार द्वारा भूमि विकास बैंक से ली जा रही बैंक गॉरन्टी कमीशन में पूरी तरह से छूट या पूर्ववत् 0. 10 प्रतिशत ही रखने का आग्रह किया।

प्रमुख शासन सचिव सहकारिता श्री तपेश पवार ने बताया कि 36 प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों द्वारा काश्तकारों को दीर्घकालीन कृषि सुधार कार्यों और कृषि के लिए आधारभूत सुविधाओं के विस्तार के लिए ऋण सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है।

रजिस्ट्रार श्री प्रेम सिंह मेहरा ने बताया कि लघु सिंचाई साधनों के विकास और कृषि यंत्रीकरण में सहकारी भूमि विकास बैंकों की खास भूमिका रही है। उन्होंने बताया कि बैंक द्वारा आलोच्य वर्ष में राज्य सरकार व सदस्यों को दस प्रतिशत की दर से लाभांश दिया गया है।

राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक की प्रबन्ध संचालक श्रीमती मंजरी भांती ने बैंक गतिविधियों व योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बैंक निरन्तर लाभ में काम करते हुए सदस्यों व राज्य सरकार को लाभांश उपलब्ध करा रहा है।

उपभोक्ता संघ के निर्विरोध चुनावों में श्रीमती मोना शर्मा अध्यक्ष व श्री मांगी लाल राठी उपाध्यक्ष

राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ के 16 साल बाद हुए चुनावों में श्रीमती मोना शर्मा अध्यक्ष एवं श्री मांगी लाल राठी उपाध्यक्ष पद पर निर्विरोध चुने गए हैं। वन मंत्री श्री रामलाल जाट की उपस्थिति में चुनाव अधिकारी श्री मदन लाल गुर्जर ने अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहित संचालक मण्डल के सदस्यों को शपथ दिलाई।

वनमंत्री श्री रामलाल जाट ने शपथ ग्रहण समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि सहकारिता आंदोलन दूर-ढ़ाणी में बैठे किसानों, ग्रामीणों और जरुरतमंद लोगों के आर्थिक विकास का जरिया है। उन्होंने कहा कि ईमानदारी और पारदर्शिता से काम करते हुए निर्वाचित संचालक मण्डल को सदस्यों सहित आम नागरिकों तक बेहतर सेवाएं पहुंचाते हुए सहकारी संस्थाओं को विकास की राह पर ले जाना है।

वनमंत्री श्री जाट ने सहकारी संस्थाओं के चुनाव कराने के लिए मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत और सहकारिता मंत्री श्री परसादी लाल मीणा को बधाई देते हुए कहा कि सरकार की इच्छा शक्ति से ही सहकारी संस्थाओं के संचालन का जिम्मा चुने हुए लोगों को प्राप्त हो सका है। उन्होंने जोर देकर कहा कि प्रदेश का सहकारिता आंदोलन साफ-सुथरा है और इसका श्रेय सहकारिता से जुड़े जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों व कर्मचारियों को जाता है।

बेहतर उपभोक्ता सेवाएं पहुंचाना पहली प्राथमिकता-श्रीमती मोना शर्मा

उपभोक्ता संघ की नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्रीमती मोना शर्मा ने कहा कि उनकी प्राथमिकता प्रदेशवासियों को बेहतर सहकारी उपभोक्ता सेवाएं उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि सभी के सहयोग से राज्य में सहकारी उपभोक्ता सेवाओं का विस्तार किया जाएगा।

उपभोक्ता संघ के प्रबन्ध संचालक श्री सोमदत्त ने बताया कि सहकारी उपभोक्ता संघ की स्थापना के बाद से दूसरी बार निर्वाचित संचालक मण्डल आया है। उन्होंने सहकारी उपभोक्ता संघ की गतिविधियों की जानकारी दी। उपाध्यक्ष श्री मांगी लाल राठी, संचालक मण्डल के सदस्य श्री रमेश गुलिया ने भी विचार व्यत किए। समारोह में भीलवाड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक के अध्यक्ष श्री रामपाल शर्मा भी उपस्थित थे।

गौरतलब है कि उपभोक्ता संघ के चुनावों में अध्यक्ष श्रीमती मोना शर्मा, उपाध्यक्ष श्री मांगी लाल राठी के अलावा श्री लीलाधर गुर्जर, श्री कैलाश नारायण मीणा श्री मोहम्मद इमरान गौरी, श्री राहुल पाराशर, श्री शिवदयाल गुप्ता, श्री रमेश गुलिया और श्री विनोद कुमार विश्नोई संचालक चुने गए हैं।

जिला स्तरीय तकनीकी समितियों की बैठकें 31 मार्च तक करने के निर्देश

राज्य में किसानों को फसली कार्यो के लिए उपलब्ध कराए जा रहे सहकारी ऋणों के मापदण्डों में परिवर्तन किया जाएगा।

सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार श्री प्रेम सिंह मेहरा ने यह जानकारी राज्य स्तरीय तकनीकी समिति की बैठक को संबोधित करते हुए दी। बैठक में राजस्थान राज्य सहकारी बैंक, राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक, कृषि, बागवानी व नाबार्ड के अधिकारियों ने हिस्सा लिया।

श्री मेहरा ने राज्य के सभी केन्द्रीय सहकारी बैंकों को 31 मार्च तक जिला स्तरीय तकनीकी समिति की बैठकें आयोजित कर कृषि लागत मापदण्डों का निर्धारण करने के निर्देश दिए हैं। जिला कलक्टर की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में जिले के लीड बैंक, नाबार्ड, कृषि, बागवानी, सहकारी बैंक व विभाग के प्रतिनिधियों द्वारा जिंसवार फसल की लागत व उत्पादकता के आधार पर ऋण सीमा का निर्धारण किया जाता है।

श्री मेहरा ने बताया कि इस समय सहकारी बैंकों द्वारा अधिकतम 50 हजार रु. तक का फसली सहकारी ऋण दिया जाता है। नहरी क्षेत्र में यह सीमा 60 हजार रु. अधिकतम तक निर्धारित है। इन मापदण्डों का निर्धारण पूर्व में 2004 में किया गया था। उन्होंने बताया कि पिछले वर्षो में कृषि लागत में बढ़ोतरी को देखते हुए इसे व्यावहारिक बनाते हुए किसानों की ऋण जरुरतों को पूरा करने के लिए फसली ऋण मापदण्डों में परिर्वतन करने की आवश्यकता महसूस की जा रही है।

बैठक में अपेक्स बैंक के प्रबन्ध संचालक श्री आर.सी.एस. जोधा ने बताया कि जिला स्तरीय तकनीकी समिति की रिपोर्ट आगामी खरीफ से पहले प्राप्त कर नए मापदण्डों का निर्धारण किया जा सकेगा।

नाबार्ड के महाप्रबन्धक श्री के.वी. क्लेमेंट ने ऋण मापदण्डों को व्यावहारिक बनाने और तकनीकी समिति की समय पर बैठक आयोजित करने पर जोर दिया।

बैठक में राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक की प्रबन्ध संचालक श्रीमती मंजरी भांती, नार्बाड के सहायक महाप्रबन्धक श्री राजकुमार, कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक श्री के.बी. शर्मा, श्री डी.एस. यादव संयुक्त रजिस्ट्रार बैंकिंग श्री मोहन लाल व महाप्रबन्धक अपेक्स बैंक श्री एन.आर. खंगार उपस्थित थे।

ऑडिट के लिए समय पर रिकार्ड उपलब्ध नहीं कराने वाली समितियों के विरुद्ध होगी कार्यवाही-रजिस्ट्रार

सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार श्री प्रेम सिंह मेहरा ने ऑडिट के लिए समय पर रिकार्ड उपलब्ध नहीं कराने वाली सहकारी समितियों के विरुद्ध सहकारी अधिनियमान्तर्गत सख्त कार्यवाही करने के निंदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक पंजीकृत सहकारी समिति का दायित्व है कि वह प्रतिवर्ष समय पर लेखे तैयार कर ऑडिट करावें।

श्री मेहरा नेहरु सहकार भवन में जयपुर एवं कोटा संभाग के ऑडिट अधिकारियों व ऑडिटरों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सहकारी अधिनियम के अन्तर्गत सभी सहकारी समितियों का साल में एक बार ऑडिट करवाया जाना आवश्यक है।

श्री मेहरा ने अंकेक्षकों से निर्धारित लक्ष्यानुसार आवंटित सहकारी समितियों का समय पर अंकेक्षण करने, अंकेक्षण कार्य में गुणवत्ता लाने व सहकारी संस्थाओं के विकास के सकारात्मक सुझावों का भी अंकेक्षण रिपोर्ट में सुझाव देने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इससे अंकेक्षण के बारें में नकारात्मक सोच में भी बदलाव आएगा और समितियों में नवाचार कार्यो को अपनाने का अवसर प्राप्त हो सकेगा।

श्री मेहरा ने कहा कि ऑडिट रिपोर्ट समय पर जारी करने व ऑडिट आक्षेपों की अनुपालना सुनिश्चित करने के

लिए एक समयवद्ध प्रक्रिया सुनिश्चित की जाए। उन्होंने सहकारी संस्थाओं की बकाया ऑडिट फीस की वसूली कर राजकोष में जमा कराने के निर्देश दिए। उन्होंने दोनों संभागों के सभी ऑडिटरों से विस्तार से ऑडिट कार्य की प्रगति, ऑडिट में आ रही समस्याओं और सुझावों की जानकारी ली।

मुख्य अंकेक्षक श्री आई.एल. राव ने जयपुर व कोटा संभाग की सहकारी संस्थाओं की ऑडिट प्रगति की जानकारी दी।

समीक्षा बैठक में अतिरिक्त रजिस्ट्रार श्री शिवलाल मीणा, मुख्य लेखाधिकारी श्री अरविन्द मिश्रा उपरजिस्ट्रार नियम श्री लीला पुरुषोत्तम उपमुख्य अंकेक्षक श्री राजेन्द्र मीणा व कोटा व जयपुर संभाग के अधिकारियों व ऑडिटरों ने हिस्सा लिया।

अंकेक्षकों की भूमिका में समयानुकूल बदलाव की आवश्यकता प्रतिपादित

सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार श्री प्रेम सिंह मेहरा ने सहकारी संस्थाओं की ऑडिट व्यवस्था में बदलते आर्थिक परिदृश्य के अनुसार बदलाव लाने की आवश्यकता प्रतिपादित की है। उन्होंने कहा कि आर्थिक क्षेत्र में आ रहे बदलावों को देखते हुए अंकेक्षकों को अपनी भूमिका में समयानुकूल परिर्वतन लाना होगा।

नेहरु सहकार भवन में अजमेर एवं बीकानेर संभाग केऑडिट अधिकारियों व ऑडिटरों की समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि परम्परागत ऑडिट व्यवस्था में सुधार लाते हुए सहकारी संस्थाओं के अंकेक्षण में गुणवत्ता व पारदर्शिता पर बल देना होगा।

रजिस्ट्रार श्री मेहरा ने सहकारी संस्थाओं की अंकेक्षण आक्षेपों की समयबद्ध अनुपालना सुनिश्चित नहीं होने को गंभीरता से लेते हुए इस तरह की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, जिससे नियमित रूप से अनुपालना समीक्षा हो सके। उन्होंने कहा कि अंकेक्षण अनुपालना नहीं होने से सहकारी संस्थाओं का ऑडिट कराने का उद्देश्य ही पूरा नहीं हो सकेगा।

श्री मेहरा ने कहा कि सहकारी संस्थाओं का प्रतिवर्ष ऑडिट कराना वैधानिक आवश्यकता है। ऑडिट नहीं कराने वाली संस्थाओं के संचालक मण्डल व प्रबन्धन पर कार्यवाही करने के अधिकार सहकारिता अधिनियम में है। उन्होंने कहा कि ऑडिट नहीं कराने वाली संस्थाओं के संचालक मण्डल व प्रबन्धन के विरुद्ध आवश्यकता होने पर अधिनियमान्तर्गत सख्त कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने सहकारी संस्थाओं को समय पर ऑडिट फीस जमा कराने के भी निंदेश दिए।

मुख्य अंकेक्षक श्री आई.एल. राव ने बीकानेर व अजमेर संभाग की ऑडिट प्रगति की जानकारी दी।समीक्षा बैठक में मुख्य लेखाधिकारी श्री अरविन्द मिश्रा, उपरजिस्ट्रार नियम श्री लीला पुरुषोत्तम, उपमुख्य अंकेक्षक श्री राजेन्द्र मीणा, अजमेर व बीकानेर संभाग के अधिकारियों व ऑडिटरों ने हिस्सा लिया।

सहकारी संस्थाओं के लंबित ऑडिट आक्षेपों की समयबद्ध अनुपालना सुनिश्चित करें-रजिस्ट्रार

सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार श्री प्रेम सिंह मेहरा ने सहकारी संस्थाओं की ऑडिट आक्षेपों की समयबद्ध अनुपालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

श्री मेहरा आज सहकारी भवन में उदयपुर, जोधपुर एवं भरतपुर संभाग के ऑडिट अधिकारियों व ऑडिटरों की समीक्षा बैठकों को संबोधित कर रहे थे। बैठक में तीनों संभाग के खण्डीय संयुक्त रजिस्ट्रारों एवं ईकाई अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया। सहकारी संस्थाओं की ऑडिट आक्षेपों की समय पर अनुपालना नहीं होने को गंभीरता से लेते हुए आक्षेपों की अनुपालना की नियमित समीक्षा के भी निर्देश दिए।

रजिस्ट्रार श्री मेहरा ने कहा कि ईकाई अधिकारियों व सहकारी संस्थाओं के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के बीच बेहतर समन्वय से ऑडिट व्यवस्था को प्रभावी बनाया जा सकता है। उन्होंने कतिपय सहकारी संस्थाओं द्वारा समय पर लेखें तैयार नहीं करने, ऑडिट के लिए रिकार्ड उपलब्ध नहीं कराने, आवश्यक दस्तावेजों का संधारण का अभाव आदि नाराजगी व्यक्त की।

श्री मेहरा ने सहकारी संस्थाओं के ऑडिट स्तर में सुधार की आवश्यकता प्रतिपादित की। उन्होंने कहा कि ऑडिटरों के बदलते आर्थिक परिदृश्य के अनुसार सहकारी संस्थाओं का ऑडिट करना चाहिए। उनका मानना था कि सहकारी संस्था के विकास में ऑडिटरों की सकारात्मक भूमिका होनी चाहिए।

मुख्य अंकेक्षण श्री आई.एल.राव ने तीनों संभागों की ऑडिट प्रगति, आक्षेपों की अनुपालना और ऑडिट फीस की वसूली की जानकारी दी।

बैठक में अतिरिक्त रजिस्ट्रार श्री शिवपाल मीणा, मुख्य लेखाधिकारी श्री अरविन्द मिश्रा, उपरजिस्ट्रार नियम श्री लीला पुरूषोत्तम, उपमुख्य अंकेक्षक श्री राजेन्द्र मीणा सहित तीनों संभागों के क्षेत्रीय अंकेक्षण अधिकारी, ईकाई अधिकारी, विशेष लेखा परीक्षक एवं अंकेक्षकों ने हिस्सा लिया।

आईसीपीडी परियोजनाओं की समीक्षा

सहकारियों की व्यवसाय विकास योजना की समयबद्ध क्रियान्विति के निर्देश

सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार श्री प्रेम सिंह मेहरा ने सहकारी संस्थाओं की व्यवसाय विकास परियोजनाओं की समयबद्ध क्रियान्विति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। श्री मेहरा 13 जिलों की समग्र सहकारी विकास परियोजना प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि परियोजना के तहत 13 जिलों की सहकारी संस्थाओं को वित्तीय सक्षमता प्रदान करने के लिए हिस्सा राशि, मार्जिन मनी, ऋण के साथ ही आधारभूत संरचना विकास के लिए राशि उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने जोर देकर कहा कि जिन सहकारी संस्थाओं को राशि उपलब्ध कराई गई है, उन सहकारी संस्थाओं में वित्तीय संसाधन व आधारभूत सुविधाओं के विस्तार से आम लोगों तक सहकारी सुविधाओं का विस्तार और व्यवसाय में बढ़ोतरी सुनिश्चित की जानी चाहिए।

श्री मेहरा ने कहा कि आधारभूत सुविधाओं के तहत होने वाले निर्माण कार्यो-गोदाम निर्माण, दुकानों का निर्माण, बैंक या शाखा भवनों का निर्माण, ग्राम सेवा सहकारी समितियों को उपलब्ध कराई जा रही तिजोरी, फर्नीचर-फिक्चर्स आदि में गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखा जाए। उन्होंने कहा कि परियोजना का उद्देश्य जिले की सहकारी संस्थाओं को वित्तीय सहायता के माध्यम से सुविधाओं का विस्तार करना है, ताकि जिले के नागरिकों को बेहतर सहकारी सुविधाएं प्राप्त हो सके।

मोनेटरिंग अधिकारी आईसीडीपी श्री शिवकुमार बाकोलिया ने बताया कि 213 करोड़ 45 लाख रु. की समग्र सहकारी विकास परियोजना 13 जिलों में संचालित की जा रही है। उन्होंने बताया कि पंचवर्षीय परियोजना के क्रियान्वयन में राज्य सरकार द्वारा 138 करोड़ 58 लाख रुपए उपलब्ध करा दिए गए हैं। श्री बाकोलिया ने बताया कि परियोजनाओं में कार्यो में आवश्यक फेरबदल किया जाना हो तो उसके प्रस्ताव शीघ्र भिजवाए जावें।

एनसीडीसी के क्षेत्रीय निदेशक श्री जे.पी. मीणा ने उपयोगिता प्रमाण पत्र समय पर भिजवाने, कार्यो में गुणवत्ता बनाए रखने और समयबद्ध क्रि यान्विति पर जोर दिया। बैठक में जैसलमेर एवं भीलवाड़ा परियोजना के फेरबदल प्रस्तावों पर भी विचार किया गया। समीक्षा बैठक में 13 जिलों के परियोजना अधिकारियों ने हिस्सा लिया।

सहकारिता विभाग की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग

94 नई ग्राम सेवा सहकारी समितियों का गठन

आदिवासी इलाकों में 100 नई लेम्प्स का गठन

राज्य में 94 नई ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गठन की स्वीकृति जारी की गई है। सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार श्री प्रेम सिंह मेहरा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इकाई व सहकारी संस्थाओं के कार्यों की समीक्षा के दौरान यह जानकारी दी।

श्री मेहरा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ग्राम पंचायत स्तर पर नई ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गठन के लिए विभाग द्वारा पंचायतवार सर्वे का प्रपत्र भिजवाया गया है। उन्होंने निर्धारित प्रपत्र में नई समितियों के गठन की संभावना तलाशते हुए रिपोर्ट शीघ्र भिजवाने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार सक्षमता के आधार पर ग्राम पंचायत स्तर पर नई ग्राम सेवा सहकारी समितियों का गठन करेगी। इसी दिशा में कदम बढ़ाते हुए आदिवासी इलाकों में 100 नई लेम्प्स का गठन किया जा चुका है।

रजिस्ट्रार श्री मेहरा ने सहकारी बैंकों के बकाया ऋणों की कम वसूली पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि ऋण वितरण के साथ ही सहकारी ऋणों की वसूली व बैंकों में अमानत वृद्धि में संचालक मण्डल के सदस्यों का सहयोग लिया जावे। उन्होंने कहा कि सहकारी बैंकों की अच्छी वसूली व वित्तीय संसाधनों की बढ़ोतरी से ही बैंक काश्तकारों को बेहतर सेवाएं दे सकेंगे।

श्री मेहरा ने कहा कि बैंकों के अवधिपार ऋणों के चुकारे की एकमुश्त समझौता योजना के आशानुकूल परिणाम प्राप्त नहीं होने को गंभीरता से लेते हुए स्पष्ट किया कि अवधिपार ऋणों के दोषियों को इसके बाद इस तरह का अवसर प्राप्त नहीं होगा। उन्होंने अधिकारियों से एकमुश्त योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करते हुए अधिक से अधिक लोगों को लाभान्वित करने के निर्देश दिए। श्री मेहरा ने नवगठित लेम्प्स के लिए वित्तीय सहायता जारी करने की जानकारी देते हुए कहा कि गठित कमेटी में निर्णय कर लेम्प्स के लिए फर्नीचर फिक्चर्स आदि की खरीद की कार्यवाही शीघ्र की जावे। उन्होंने सहकारी बैंकों के जमाओं के स्तर को लक्ष्यानुसार बढ़ाने पर जोर दिया।

रजिस्ट्रार श्री मेहरा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में स्वयं सहायता समूहों को वित्त पोषण में तेजी लाने नई क्रय-विक्रय सहकारी समितियों के गठन, गोदाम के मरम्मत स्वीकृति के अनुसार 31 मार्च तक मरम्मत का कार्य पूर्ण कराने, नए गोदामों के लिए सीधे ही एनसीडीसी या केन्द्रीय सहकारी बैंकों में प्रस्ताव भिजवाने को कहा।

प्रबन्ध संचालकों में अपेक्स बैंक के श्री आर. सी. एस. जोधा व राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक की श्रीमती मंजरी भांती ने बैंकों की प्रगति से अवगत कराया।

बैठक में उपशासन सचिव सहकारिता श्री महेश गुप्ता, अतिरिक्त रजिस्ट्रार द्वय सुश्री लक्ष्मी बैरवा, श्री शिवलाल मीणा मुख्य अंकेक्षक श्री आई. एल. राव, परियोजना निदेशक प्रोसेसिंग श्री विजय प्रकाश जोशी संयुक्त रजिस्ट्रार श्री रामजी लाल सोनी व श्री मोहन लाल महाप्रबन्धक उपभोक्ता संघ श्री भारत भूषण एवं उपरजिस्ट्रार योजना श्री राजीव लोचन शर्मा ने हिस्सा लिया।

आगामी वर्ष के लिए सहकारी समिति स्तर पर पहली बार जनवरी से डीएपी का अग्रिम भण्डारण

राज्य में आगामी वर्ष के लिए सहकारी समिति स्तर पर 63 हजार मैट्रिक टन से अधिक डीएपी का अग्रिम भण्डारण किया गया है। राज्य में पहलीबार जनवरी से मार्च के बीच ही 73 हजार टन से अधिक डीएपी का अग्रिम भण्डारण का निर्णय करते हुए क्रियान्विति आरंभ की गई है।

रजिस्ट्रार श्री प्रेम सिंह मेहरा ने बताया कि यह पहला मौका है, जब प्रदेश में काश्तकारों को डीएपी की समय पर उपलब्धता बनाने के लिए जनवरी से मार्च माह तक ही सहकारी समिति स्तर पर अग्रिम भण्डारण शुरु किया गया है। उन्होंने बताया कि अग्रिम भण्डारण के तहत सहकारी क्षेत्र की प्रतिष्ठित उर्वरक उत्पादक संस्था इफको द्वारा सहकारी संस्थाओं को 60 हजार टन और इण्डियन पोटास लि. (आईपीएल) द्वारा 13 हजार टन डीएपी उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इससे काश्तकारों को समय पर डीएपी उपलब्ध होने के साथ ही यह डीएपी पुरानी दर पर प्राप्त होने से काश्तकारों को सीधा लाभ प्राप्त हो सकेगा।

श्री मेहरा ने बताया कि करार के अनुसार इफको एवं आईपीएल द्वारा सहकारी समिति स्तर पर डीएपी की आपूर्ति शुरु करते हुए इफको द्वारा करीब 43 हजार 257 टन एवं आईपीएल के माध्यम से 13 हजार 367 टन डीएपी का भण्डारण किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि इसके अलावा 7073 टन डीएपी पहले से ही सहकारी समिति स्तर पर उपलब्ध है।

श्री मेहरा ने बताया कि इस वर्ष 3 लाख टन डीएपी के अग्रिम भण्डारण का निर्णय लिया गया था, जिसके विरुद्ध करीब 3 लाख 20 हजार टन डीएपी का भण्डारण कर काश्तकारों को उपलब्ध कराया गया, जिससे प्रदेश में अच्छे मानसून के कारण डीएपी की मांग बढ़ने पर भी डीएपी की मांग के अनुसार सहकारी समितियों से आपूर्ति हो सकी। उन्होंने बताया कि यह अग्रिम भण्डारण आगामी वित्तीय वर्ष में होने वाले डीएपी के अग्रिम भण्डारण के अतिरिक्त होने से राज्य में अधिक डीएपी की उपलब्धता हो सकेगी और किसानों को जरुरत के अनुसार डीएपी खाद उपलब्ध हो सकेगा।

समय पर सहकारी ऋण चुकाने वाले काश्तकारों, ऋणियों को बड़ी राहत- सहकारिता मंत्री

राज्य में दीर्घकालीन सहकारी ऋणों का नियमित चुकारा करने वाले काश्तकारों, ऋणियों को ब्याज राशि में 10 से 15 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी। सहकारिता मंत्री श्री परसादी लाल मीणा ने यह जानकारी देते हुए बताया कि समय पर कर्जा चुकाने वाले ऋणियों को प्रोत्साहित करने के लिए यह योजना लागू की गई है। यह योजना 30 जून, 2011 तक प्रभावी रहेगी।

सहकारिता मंत्री श्री मीणा ने बताया कि राज्य के 36 प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों द्वारा काश्तकारों व अन्य ऋणियों को लम्बी अवधि के सहकारी कर्जे दिए जाते हैं। राज्य सरकार ने समय पर कर्जा चुकाने वाले ऋणियों को प्रोत्साहित करने की घोषणा करते हुए सहकारी भूमि विकास बैंकों के दो वर्षों से अधिक अवधि से नियमित सहकारी ऋण चुकाने वाले सदस्यों को ब्याज राशि पर 15 प्रतिशत की छूट देने की घोषणा की है। इसी तरह दो वर्ष या उससे कम अवधि से नियमित भुगतान कर रहें ऋणियों को ब्याज राशि पर 10 प्रतिशत छूट दी जाएगी। भूमि विकास बैंकों के अवधिपार सहकारी ऋणों के दोषी सदस्यों को भी बकाया अवधिपार पूरी राशि का चुकारा करने पर राहत देने का निर्णय किया गया है।

सहकारिता मंत्री श्री मीणा ने बताया कि वसूली प्रोत्साहन योजना के आदेश सहकारिता विभाग द्वारा जारी कर दिए गए हैं और राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक द्वारा सभी प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों को योजना अंगीकार कर लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। विभागीय वेबसाइट पर भी योजना उपलब्ध है।

सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार श्री प्रेम सिंह मेहरा ने योजना को स्पष्ट करते हुए बताया कि अब तक अधिकांशत: समय पर ऋण नहीं चुकाने वाले ऋणियों को ही एकमुश्त समझौता योजना, ऋण माफी योजना में लाभान्वित किया जाता रहा है। पर पिछले वर्षों में लगातार समय पर ऋण चुकाने वाले काश्तकारों, ऋणियों को प्रोत्साहित व लाभान्वित करने की राज्य सरकार के सहकारिता विभाग की यह बड़ी पहल है।

श्री मेहरा ने बताया कि वर्ष 2007-08 से लगातार ऋण चुकाने वाले ऋणियों को वर्ष 2010-11 की देय ब्याज राशि पर 15 प्रतिशत की छूट अर्थात् ब्याज राशि 10 हजार रुपए है तो 1500 रु. की छूट दी जाएगी। इसी तरह से दो वर्ष या इससे कम अवधि तक निरन्तर समय पर ऋण चुकाने वाले ऋणियों को वर्ष 2010-11 की देय ब्याज राशि पर 10 प्रतिशत की छूट अर्थात् ब्याज राशि 10 हजार रुपए है तो 1000 रु. की छूट दी जाएगी।

राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक के अध्यक्ष श्री अशोक फौजदार ने बताया कि नियमित ऋण चुकाने वाले काश्तकारों के साथ ही अवधिपार बकाया ऋण के दोषी सदस्यों को भी एक अवसर ओर देन का निर्णय किया गया है। उन्होंने बताया कि बकाया अवधिपार राशि का पूरा चुकारा करने पर वसूली योग्य ब्याज राशि में 5 प्रतिशत अर्थात् 10 हजार रुपए है तो 500 रुपए की छूट दी जाएगी। उन्होंने बताया कि इसके साथ ही अवधिपार बकाया दोषी ऋणी की तरफ बकाया दण्डनीय ब्याज व वसूली व्यय भी नहीं लिया जाएगा। राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक की प्रबन्ध संचालक श्रीमती मंजरी भांती ने बताया कि प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों के कृषि और अकृषि अवधिपार सहकारी ऋणों की वसूली प्रोत्साहन योजना सभी बैंकों को भिजवा दी गई है। प्राथमिक भूमि विकास बैंक अपने संचालक मण्डल एवं प्रशासक द्वारा प्रस्ताव पारित करा कर वसूली प्रोत्साहन योजना 2010-11 को अंगीकार करेंगे। उन्होंने बताया कि योजना की प्रगति नियमित समीक्षा की जाएगी।

सहकारी जनौषधि केन्द्रों पर जैनेरिक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश

सहकारिता विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्री तपेश पवार ने सहकारी उपभोक्ता संस्थाओं द्वारा संचालित जनौषधि सहकारी दवा बिक्री केन्द्रों पर मांग के अनुसार जैनेरिक दवाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।

श्री पवार ने यह निर्देश सहकारी संस्थाओं द्वारा संचालित जनौषधि केन्द्रों के संबंध में आयोजित उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में दिए। उन्होंने आरडीपीएल के अधिकारियों से जनौषधि केन्द्रों पर जैनेरिक दवाओं की मांग के अनुसार समयवद्ध आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने कहा कि जैनेरिक दवाएं अन्य दवाओं की तुलना में काफी सस्ती होने से आम मरीजों के साथ ही गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले नागरिकों, पेंशनर्स सहित सभी के लिए लाभदायक है।

प्रमुख सचिव सहकारिता श्री पवार ने कहा कि राज्य के अस्पतालों में क्रय की जाने वाली दवाओं को उपभोक्ता संघ के जनौषधि केन्द्रों से प्राथमिकता से क्रय करने की आवश्यकता प्रतिपादित की। उन्होंने आरडीपीएल के बकाया का भुगतान के भी निर्देश दिए।

सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार श्री प्रेम सिंह मेहरा ने बताया कि मरीजों को सस्ती दवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जनौषधि केन्द्र शुरु किए गए हैं। उन्होंने कहा कि सहकारिता विभाग, चिकित्सा विभाग व आरडीपीएल के बीच हुए करार के अनुसार आरडीपीएल द्वारा जैनेरिक दवाओं की समय पर आपूर्ति नहीं होने व चिकित्सकों द्वारा जैनेरिक दवाएं नही लिखने की प्रवृत्ति के कारण गरीब मरीजों को सस्ती दवाएं उपलध नहीं हो पा रही है। उन्होंने कहा कि जिन दवाओं का उत्पादन या विपणन आरडीपीएल द्वारा नहीं किया जा रहा है, वे जैनेरिक दवाएं भी मांग के अनुसार सहकारी जनौषधि केन्द्रों पर आरडीपीएल द्वारा सीधे संबंधित उत्पादक कम्पनियों से समन्वय बनाते हुए उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जावे।

श्री मेहरा ने चिकित्सकों से भी गरीबों को सस्ता ईलाज सुलभ कराने की राज्य सरकार की पहल को ध्यान में रखते हुए जनौषधि केन्द्रों पर उपलब्ध जैनेरिक दवाओं को लिखने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि चिकित्सा विभाग द्वारा इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी किए जाने के बावजूद चिकित्सकों द्वारा जैनेरिक दवाएं नहीं लिखी जा रही है।

आरडीपीएल के उपमहाप्रबन्धक विपणन श्री सुजीत राय ने सहकारी संस्थाओं की ओर बकाया राशि के भुगतान का आग्रह किया। उन्होंने जैनेरिक दवाओं की आपूर्ति व्यवस्था में सुधार का विश्वास दिलाया।

बैठक में उप सचिव सहकारिता श्री महेश गुप्ता चिकित्सा विभाग के संयुक्त निदेशक एचआर डॉ. एस.आर. सुखाडिया आरडीपीएल के श्री राजेश श्रीवास्तव, उपभोक्ता संघ के महाप्रबन्धक श्री भारत भूषण एवं प्रबन्धक मेडिकल श्री शिवजी लाल चौपड़ा भी उपस्थित थे।

कृषि जिंसों की सहकारी खरीद व्यवस्था आसान होगी

सहकारिता विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्री तपेश पवार ने कहा है कि सहकारी संस्थाओं के माध्यम से काश्तकारों से कृषि जिन्सों की खरीद व्यवस्था को प्रभावी व आसान बनाया जाएगा।

श्री पवार, रजिस्ट्रार श्री प्रेम सिंह मेहरा के साथ राजफैड की कार्यों की समीक्षा बैठक ले रहे थे। उन्होंने बताया कि राजफैड द्वारा विपणन सहकारी संस्थाओं के माध्यम से केन्द्र सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर एवं वाणिज्यिक दरों पर कृषि जिन्सों की खरीद की जाती है।

प्रमुख शासन सचिव सहकारिता श्री तपेश पवार ने राजफैड की पशुआहार इकाई की उत्पादन क्षमता के अधिकतम उपयोग के साथ ही गुणवत्ता बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राजफैड के वार्षिक कारोबार को बढ़ाते हुए लाभदायकता बढ़ाने के प्रयास किए जाए।

सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार श्री प्रेम सिंह मेहरा ने बताया कि इस वर्ष राजफैड द्वारा जनवरी,11 तक 449 करोड़ 69 लाख रुपए का वार्षिक कारोबार किया जा चुका है। राजफैड निरन्तर लाभ में काम करते हुए सदस्यों को लाभांश दे रहा है। श्री मेहरा ने बताया कि राजफैड द्वारा स्वयं के स्तर पर 20 हजार टन भण्डारण क्षमता के गोदाम बनवाए हैं और अगले चरण में बारां, जयपुर, अलवर, कोटा, मेड़ता सिटी व हनुमानगढ़ में गोदाम बनाने के लिए रीको से भूमि प्राप्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

श्री मेहरा ने बताया कि राजफैड पशुआहार इकाई की 24 हजार मैट्रिक टन वार्षिक उत्पादन क्षमता है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2010-11 में राजफैड द्वारा विपणन सहकारी समितियों के माध्यम से एक लाख 35 हजार 930 क्विंटल प्रमाणित बीजों का वितरण किया गया है। आगामी खरीफ के लिए खाद-बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करने की कार्य योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

सहकारी व्यवस्थापकों के वेतनमानों में संशोधन

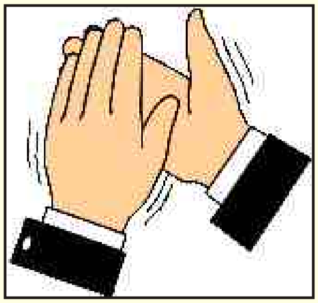

सहकारिता विभाग ने एक आदेश जारी कर ग्राम सेवा सहकारी समितियों और लेम्प्स के व्यवस्थापकों के वेतनमान में संशोधन किया है।

सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार श्री प्रेम सिंह मेहरा ने बताया कि संशोधित वेतनमानों के अनुसार अब नियमित रुप से नियुक्त व्यवस्थापकों को 5200-20200 रुपए की वेतन श्रृंखला दी गई है। उन्होंने बताया कि संशोधन के अनुसार अब व्यवस्थापकों को 800 रु. प्रतिमाह फिटमेंट बेनेफिट (ग्रेड-पे) देय होगा।

श्री मेहरा ने बताया कि ग्राम सेवा सहकारी समितियों और लेम्प्स के व्यवस्थापकों द्वारा 1 सितम्बर, 2009 को प्राप्त किए जा रहे मूल वेतन को 1.86 से गुणा किए जाने पर प्राप्त होने वाली राशि को 10 रु. में निकटतम राउण्ड ऑफ करते हुए मूल वेतन का निर्धारण होगा। मूल वेतन में फिटमेंट बेनेफिट की राशि 800 रु. जोड़कर नवीन वेतन निर्धारित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पूर्व में व्यवस्थापकों को 5680-9680 की वेतन श्रृंखला दी गई थी और फिटमेंट लाभ (ग्रेड-पे) नहीं दिया गया था।

फार्म - 4

1.	**प्रकाशन स्थान**	-	सहकार भवन बाईस गोदाम, भवानी सिंह रोड, जयपुर
2.	**प्रकाशन की अवधि**	-	प्रतिमाह
3.	**मुद्रक का नाम**	-	श्री प्रेम सिंह मेहरा, रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, द्वारा मैसर्स राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लि., जी-1, 138, इंडस्ट्रियल एरिया, मालवीय नगर, जयपुर।
	क्या भारत के नागरिक है!	-	हाँ
	यदि विदेशी है तो मूल देश	-	नहीं
	पता	-	रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, सहकारी भवन, बाईस गोदाम, भवानी सिंह रोड, जयपुर।
4.	**प्रकाशक का पता**	-	रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, सहकारी भवन, बाईस गोदाम, भवानी सिंह रोड, जयपुर।
5.	**सम्पादक का नाम**	-	डॉ. राजेन्द्र प्रसाद शर्मा
	क्या भारत के नागरिक है!	-	हाँ
	यदि विदेशी है तो मूल देश	-	नहीं
	पता	-	प्रचार अधिकारी, सहकारी समितियां, जयपुर

6. उन व्यक्तियों के नाम व पते जो समाचार के स्वामी तथा पूंजी के एक प्रतिशत, से अधिक साझेदार या हिस्सेदार हों।

मैं प्रेमसिंह मेहरा, रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, सहकार भवन, बाईस गोदाम, जयपुर एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ कि मेरी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार ऊपर दिए गए विवरण सत्य है।

प्रेम सिंह मेहरा
प्रकाशक

स्वामी, रजिस्ट्रार को-ऑपरेटिव सोसायटी, राजस्थान, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री प्रेम सिंह मेहरा नेहरू सहकार भवन, 22 गोदाम, भवानी सिंह रोड़, जयपुर से प्रकाशित एवं मैसर्स राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लिमिटेड, जी-1/138 इंडस्ट्रियल एरिया मालवीय नगर, जयपुर से मुद्रित सम्पादक : डॉ. राजेन्द्र प्रसाद शर्मा।